कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,लो0नि0विभाग,चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

संख्या— / 01 सी0 दिनांक,21-09-2017।

कार्यालय— ज्ञाप

जनपद उत्तरकाशी में (बड़ेथी—बनचौरा—बद्रीगाड मोटर मार्ग के कि0मी0—0.00 से 53.30) धरासू से पत्थरखोल तक ओ0एफ0सी0 लाइन बिछाये जाने हेतु दिनांक 27.05.2017 को भारत संचार निगम लि0 व वन विभाग एवं राजस्व विभाग तथा इस विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त इस कार्यालय के पत्र संख्या— 570/ 01 सी0 दिनांक 22.06.2017 द्वारा गठित किये गये आगणन के प्राविधान एवं संस्तुतियों के आधार पर मण्डीय अभियन्ता भारत संचार निगम देहरादून द्वारा आपने पत्र संख्या— DETP/DN/Nainbag- Dharasu/T-869/18 दिनांक 20.09.2017 द्वारा रोड़ कटिग चार्जेज रू0 41,31,690.00 की धनराशि चेक संख्या— 268671 दिनांक 16.09.2017 द्वारा इस खण्ड के पक्ष में उपरोक्त अनुमित प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार आगणन में उल्लिखित सम्बन्धित शर्तो के साथ ही निम्न प्रतिवन्धों के अधीन उक्त मोटर मार्ग पर ओ0एफ0सी0 लाइन बिछाने हेतु अनुमति एतदद्वारा प्रदान की जाती है ।

1— कच्चे भाग में ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने हेतु संयुक्त निरीक्षण में सत्यापित निर्धारित बिन्दुओं एवं मानको का पूर्णतः अनुपालन करना होगा ।
2— एक साथ 150 मीटर से अधिक लम्बाई में खुदाई कार्य किये जाने की अनुमति नही होगी।
3— कार्यस्थल पर निर्माण के दौरान चेतावनी के बोर्ड व लाल झण्डी आदि सुरक्षा बोर्ड लगाने का उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा ।
4— निर्माण के दौरान के यातायात सुचारू रखना कार्यदायी संस्था की पहली प्राथमिकता एवं जिम्मेदारी होगी ।
5— कल्बर्ट /पैरापिट इत्यादि की सुरक्षा संयुक्त निरीक्षण में की गयी प्राविधान/संस्तुतियों के अनुसार रखना कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी होगी ।
6— कार्य निरर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करना अनिवार्य होगा ।
7— निर्माण के दौरान आगणन में लगे प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के कार्यालय—ज्ञाप संख्या—1099/10 प्रकीर्ण —उत्तराखण्ड/2016 दिनांक 22.09.2016 में उल्लिखित सम्बन्धित बिन्दुओं का पूर्णतया पालन करना होगा ।
8— काजवे एवं पुल/पुलिया के ऊपर से यूटीलिटी शिफ्टिंग की अनुमति नही होगी ।
7— निर्माण के दौरान किसी अन्य विभाग की परिसम्पत्तियों की क्षति की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी ।

उपरोक्त अनुमति तत्काल प्रभाव से लागू होगें ।

(सी0 एस0 रावत)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
चिन्यालीसौड़

संख्या— 981/ 1 सी0 दिनांकित ।

1—प्रतिलिपि— मण्डीय अभियन्ता टेलीकॉम प्रोजक्ट जे0 ब्लाक टाइप—।।। स्चार विहार इन्दरा नगर कालोनी देहरादून (उत्तराखण्ड) को उनके उक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2—प्रतिलिपि— सहायक अभियन्ता प्रथम/द्वितीय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अनुमति एवं आगणन में किये गये प्राविधान एवं संस्तुतियों के अनुसार उक्त कार्य पर भी निगरानी रखने हेतु अपने अधीनस्थ स्टाफ को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3—प्रतिलिपि— कनिष्ट अभियन्ता (प्रा0) को अभिलेख हेतु ।

Attested
S.D.E.(T.P.)
DEHRADUN

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
चिन्यालीसौड़